


कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

निकाय क्षेत्रांतर्गत उद्यानो का रखरखाव एवं संधारण कार्य

क्र.	वार्ड क्र.	स्थल का विवरण	दर	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1	7	विश्व बैंक कॉलोनी का उद्यान का रखरखाव कार्य		
2	17	जी.ई.रोड व दक्षिण वसुन्धरा नगर उद्यान के मध्य सौन्दर्यीकरण कार्य एवं लेण्डस्केपिंग कार्य		
3	17	शासकीय चिकित्सालय, भिलाई-03 व सिरसा चौक तक जी.ई. सड़क के समानांतर सौन्दर्यीकरण व लेण्डस्केपिंग कार्य		
4	17	उत्तर वसुन्धरा नगर, सिंधी कॉलोनी फेस-I का उद्यान		
5	18	दक्षिण वसुन्धरा नगर, पानी टंकी उद्यान संधारण कार्य		
6	18	शासकीय खूबचन्द महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के बांयी ओर सौन्दर्यीकरण कार्य		
7	18	शासकीय खूबचन्द महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के दांयी ओर सौन्दर्यीकरण कार्य		
8	18	उत्तर वसुन्धरा नगर के निर्मित उद्यान		
9	18	मानसरोवर कॉलोनी मंदिर के पास उद्यान		

नियम व शर्तें :-

- उक्त उल्लेखित उद्यान/सौन्दर्यीकरण कार्यों के रख रखाव व संधारण की अवधि कार्यादेश से 12 माह के लिए होगी।
- उक्त उल्लेखित उद्यानों/सौन्दर्यीकरण कार्य के रख रखाव में साफ-सफाई, पौधों में आवश्यक खाद डालने, घास/पेड़-पौधों की कटिंग कार्य करने इत्यादि समस्त कार्य सम्मिलित है, जिनमें होने वाले समस्त सामग्री व श्रम व्यवस्था प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की होगी।
- उक्त उल्लेखित उद्यानों/सौन्दर्यीकरण कार्य के विद्युत व्यवस्था का संधारण/मरम्मत एवं सुरक्षा व आवश्यक सामग्री का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
- उद्यानों के Land Scaping व पेड़-पौधों में पानी डालने की जवाबदारी निविदा कार की होगी। निकाय में उपलब्धता की स्थिति में पानी निकाय द्वारा प्रदाय किया जावेगा। ग्रीष्म काल में स्वयं के ट्रैक्टर/टैंकरों से पानी परिवहन कर डाला जाना होगा, जिसका पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- उद्यानो के रख रखाव व संधारण में संलग्न किए जाने वाले कर्मचारी/श्रमिकों को परिचय पत्र व वर्दी (UNIFORM) प्रदान करना होगा।
- निविदाकार की प्रस्तुत व स्वीकृत दर वार्षिक (12 माह) के लिए होगी। उक्त दर को 12 माहों में समानुपात में विभाजित कर कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में प्रति माह का भुगतान किया जावेगा। जिसमें नियमानुसार आयकर, श्रम कल्याण उपकर (नियमानुसार) व 10% सुरक्षा निधि कटौती की जावेगी। जो कि अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत वापस किया जावेगा।
- उद्यान/सौन्दर्यीकरण कार्यों के विद्युत बिल का भुगतान निकाय द्वारा किया जावेगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयावधि में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
- विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का अंतिम व सर्वमान्य होगा।


Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai-Charoda